

प्रारूप - एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

क./11255/क/भू-अर्जन/2017

कोरबा, दिनांक 11/10/17

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है; अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कोरबा	कोरबा	0.66 ए.	सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक

25.10.2017 को समय 12.00 बजे से स्थान

सांख्यिक जवन

नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?
8. परियोजना की कुल लागत
9. परियोजना से होने वाले लाभ
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय

सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण

02

निरंक

निरंक

निरंक

हां

हां

8.33 लाख

आवागमन की सुविधा हेतु

प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 235943 दिनांक 05.04.2017 के माध्यम से जमा किया गया है।

निरंक

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हों, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(मौ. कैसर अब्दुल हक)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित ।
3. आयुक्त, नगर-पालिक निगम, कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे ।
4. नियंत्रक, शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छ.ग.की ओर सूचनार्थ । कृपया इस राजपत्र भाग - 1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ । कृपया अधिसूचना को छ.ग.शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करें ।
6. तहसीलदार कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ।

(मो.कैसर अब्दुल हक)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग